

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 326 / 70-71 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश  
का  
क०सं०एवं  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
की ग  
कार्रवाई  
बारे


29/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती मृडया स्वांसी पिता/पति मंगल स्वांसी  
मौजा गिरिनिलवेडा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या-  
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 48 / 70-71 के आधार पर दर्ज है।  
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुवर्ति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>गिरिनिलवेडा</u>	<u>260</u>	<u>76</u>	<u>559</u>	<u>0.99 (कै.)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।


  
अंचल अधिकारी  
अड़की।

07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती भूईया स्वांसी पिता/पति मंगल स्वांसी मौजा-गिरिलंबेड़ा थाना-अड़की, जिला-खूंटी के नाम से मौजा-गिरिलंबेड़ा थाना नं० 260 खाता सं० 76 प्लॉट सं० 559 रकबा- 0.99 एकड़ लगान ..... रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-गिरिलंबेड़ा थाना नं० 260 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।